

एस. आर. के. (पी.जी.) कॉलेज

फीरोजाबाद (उप्रो)

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा B ग्रेड प्राप्त



डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध

विवरणिका
PROSPECTUS

एस.आर.के.ओ (पी.जी.) कॉलेज, फारोजाबाद

बी.ए.ओ, बी.कॉम.ओ, एम.ए.ओ तथा एम.कॉम.ओ उपाधियों के लिए

परम श्रद्धेय सेठ स्व. श्री कन्हैयालाल जी गोयन्का द्वारा 1919 में स्थापित इस शिक्षण संस्थान को वर्ष 1939 में इण्टरमीडिएट कक्षाओं की मान्यता प्राप्त हुई। उदारमना आदरणीय सेठ स्व. श्री माधव प्रसाद जी गोयन्का ने अपने पूज्य पिताश्री की परम्परा का निर्वाह करते हुए इसे सन् 1959 में स्नातक स्तर तक उन्नत किया तथा आगरा विश्वविद्यालय से बी.ए. तथा बी.कॉम. उपाधि की सम्बद्धता प्राप्त की। प्रगति पथ पर बढ़ते हुए सन् 1965 में इस महाविद्यालय को एम.ए. तथा एम.कॉम. की कक्षाओं की मान्यता प्राप्त हुई। वर्तमान में यह कलासंकाय के आठ विषयों में तथा वाणिज्य संकाय के तीन विषयों में स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा प्रदान कर रहा है एवं कला तथा वाणिज्य संकाय के विषयों में शोधकार्य की भी सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय का उद्देश्य छात्रों को जाति, सम्प्रदाय, वर्ग आदि के भेदों से रहित शारीरिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास करने वाली आधारभूत शिक्षा प्रदान करना है। छात्रों में नागरिक भाव के पोषण तथा उनमें जीवन के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

उदारमना सेठ श्री शशि प्रसाद जी गोइन्का ने अपनी उदारता का परिचय देते हुये शासन की नवीन नीति के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत, बी.सी.ए., बी.बी.ए., तथा बी.ए.ड. कक्षाओं की मान्यता विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा इन कक्षाओं के लिए पृथक रूप से एक नवीन परिसर का निर्माण कराते हुये एस.आर.के. कॉलेज (कम्प्यूटर साइंस एण्ड एजूकेशन) के नाम से संचालन की व्यवस्था की है।

महाविद्यालय का विशाल भवन सेठ कन्हैयालाल गोइन्का मार्ग, कोटला रोड पर स्वास्थ्यप्रद वातावरण में स्थित है। महाविद्यालय के अन्तर्गत कई विशाल हॉल तथा हराभरा प्रांगण है। इसके साथ ही एक विशाल क्रीड़ा-स्थल भी है जो विद्यार्थियों को खेलकूद की पूर्ण सुविधा प्रदान करता है ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। महाविद्यालय में आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण जिम की भी व्यवस्था है।

महाविद्यालय के लिए यह गौरव का विषय है कि यूजी०सी० की संस्था राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा महाविद्यालय को प्रत्येक दृष्टि से उच्चस्तरीय पाया गया है और उसे ग्रेड 'बी' प्रदान किया गया है।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

कॉलेज में एक समृद्ध पुस्तकालय है जिसमें विभिन्न विषयों की लगभग 50,000 पुस्तकें हैं। विस्तृत पुस्तकालय भवन में शोधकक्ष की भी व्यवस्था है। पुस्तकालय पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

महाविद्यालय में हिन्दी एवं अंग्रेजी के अनेक समाचार-पत्र तथा पत्रिकाओं (साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक आदि) की व्यवस्था है। पुस्तकालय की व्यवस्था प्रशिक्षित एवं अर्हता प्राप्त पुस्तकालय स्टाफ की देखरेख में होती है। गम्भीर एवं निर्विघ्न अध्ययन के लिए अध्ययन कक्षों एवं एक विशाल वाचनालय कक्ष की व्यवस्था है।

सह-पाठ्यविधि कार्यक्रम

महाविद्यालय में शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रमों को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है तथा उनमें सक्रीय भाग लेने के लिए सभी छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है। संस्थान के पास सेठ माधव प्रसाद गोइन्का स्टेडियम एवं इंडोर गेम्स हेतु बहुउद्देशीय-हॉल है। दोनों खेल परिसरों में राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधायें उपलब्ध हैं।

महाविद्यालय की ओर से साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों तथा क्रीड़ा विभाग द्वारा विभिन्न खेलकूदों, क्रीड़ा प्रतियोगिताओं एवं शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्नातक कक्षाओं के छात्रों के लिए एन.एस.एस. तथा एन.सी.सी. प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

विभिन्न विषयों के छात्रों द्वारा अपने प्राध्यापकों की देखरेख में विषयों के पृथक-पृथक स्वाध्याय मण्डलों का गठन किया जाता है जिनमें वाद-विवाद, निबन्ध, साहित्यिक,

प्रतियोगिताओं व शैक्षणिक पर्यटन आदि का आयोजन होता है और छात्रों के ज्ञानवर्द्धन के लिए विभिन्न विषयों के प्रख्यात विद्वानों को आमन्त्रित कर उनके व्याख्यानों का आयोजन किया जाता है। इस कॉलेज में पूर्णतः सुसज्जित संगोष्ठी कक्ष की व्यवस्था है। विगत वर्षों में कालेज के मनोविज्ञान विभाग, समाजशास्त्र विभाग, आंबेडकर अध्ययन-केन्द्र एवं अर्थशास्त्र विभाग के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगोष्ठियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। सत्र 2019–20 में एस0आर0के0 शिक्षण संस्थान द्वारा शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया जिसमें भारत सरकार के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री डा0 रमेश पोखरियाल “निशंक”, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री डा0 दिनेश शर्मा, राज्यसभा सांसद, डा0 अनिल जैन एवं डा0 बी0आर0 आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के कुलपति प्रोफेसर अशोक मित्तल ने शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर अपने उद्बोधन दिये। इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त 16 पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। संस्थान के सचिव सेठ शशि प्रसाद गोइन्का एवं तत्कालीन सह सचिव डा0 जी0के0 अग्रवाल ने सभी वर्तमान एवं अवकाश प्राप्त शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सम्मानित किया।

समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत सत्र 2022–23 में प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे – सिविल सेवा, पी0सी0एस0, नीट, एन0डी0ए0, सी0डी0एस0 इत्यादि परीक्षा हेतु प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये निःशुल्क कोचिंग एस0आर0के0 (पी0जी0) कॉलेज, फिरोजाबाद में संचालित की गई है।

प्राचार्य

प्रोफेऽ प्रमोद कुमार सीरौठिया [एम०कॉम०, एम०ए० (इतिहास), पीएच०डी०]

कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय

1- मनोविज्ञान विभाग

- (1) प्रोफेऽ प्रभाष्कर राय – एम०ए०, एम०फिल, नेट, पीएच०डी०, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
- (2) प्रोफेऽ अजिर बिहारी चौबे – एम०ए०, पीएच०डी०, प्रोफेसर
- (3) श्रीमती कविता अग्रवाल – एम०ए०, नेट, एसोसिएट प्रोफेसर
- (4) प्रोफेऽ अमर प्रकाश – एम०ए०, पी०एच०डी०, प्रोफेसर

2- राजनीति शास्त्र विभाग

- (1) डॉ मोहम्मद आफताब सिद्दीकी – एम०ए०, एम०फिल०, पी०एच०डी०, पी०जी० डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
- (2) श्री बृजेन्द्र कुमार मिश्र – एम०ए० नेट, असिस्टेन्ट प्रोफेसर
- (3) स्थान रिक्त।

3- अर्थशास्त्र विभाग

- (1) प्रोफेऽ शिशिर कुमार वर्मा – एम०ए०, एम०एस०सी०, पी०एच०डी०, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
- (2) प्रोफेऽ संजीव मोहन शर्मा – एम०ए०, पीएच०डी०, पी०जी०डी०सी०पी०, प्रोफेसर
- (3) प्रोफेऽ प्रशान्त अग्रवाल – एम०ए०, एम०पी०एस०, नेट, पीएच०डी०, प्रोफेसर
- (4) डॉ (श्रीमती) पूनम तोमर – एम०ए०, नेट, पी०एच०डी०, असिस्टेन्ट प्रोफेसर

4- इतिहास विभाग

- (1) डा० शहरयार अली – बी०ए० (आनर्स), एम०ए०, यू०जी०सी० नेट, पीएच०डी०, एसोसिएट प्रोफेसर, एवं विभागाध्यक्ष
- (2) श्री शैलेन्द्र चौहान – एम०ए०, नेट, असिस्टेन्ट प्रोफेसर
- (3) श्री व्योमेश यादव – एम०ए०, नेट, असिस्टेन्ट प्रोफेसर

5- समाजशास्त्र विभाग

- (1) श्री सुबोध कुमार – एम०ए०, नेट, बी०ए८०, असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
- (2) डा. अमित कुमार शर्मा – एम०ए०, (समाजशास्त्र, अंग्रेजी), नेट (समाजशास्त्र), पीएच०डी०, बी०ए८०, एम०बी०ए०, असिस्टेन्ट प्रोफेसर
- (3) स्थान रिक्त।

(बज़रिज्य संकाय)

1- व्यवसाय प्रशासन विभाग

- (1) प्रोफे० रवि माहेश्वरी – एम०कॉम० (व्यवसाय प्रशासन), पीएच०डी०, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
- (2) डा० वन्दना सिंह – एम०कॉम० (व्यावहारिक अर्थशास्त्र), नेट (जे०आर०एफ०), पी०एच०डी०,
असिस्टेन्ट प्रोफेसर
- (3) स्थान रिक्त

2- व्यावहारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग

- (1) प्रोफे० राजीव अग्रवाल— एम०कॉम० (लेखा एवं विधि तथा व्यावहारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र)
पीएच०डी०, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
- (2) श्री नित्य प्रकाश सिंह – एम०कॉम०, एम०बी०ए०, नेट, एम०ए०, (अर्थशास्त्र), असिस्टेन्ट प्रोफेसर
- (3) स्थान रिक्त

3- लेखा एवं विधि विभाग

- (1) प्रोफे० मनोज कुमार अग्रवाल – एम०कॉम० (लेखा एवं विधि), एम०ए०, (अर्थशास्त्र), नेट,
पीएच.डी., प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
- (2) प्रोफे० हनुमान प्रसाद मालोनिया— एम०कॉम० (लेखा एवं विधि), पीएच०डी०, प्रोफेसर
- (3) डा. यशपाल सिंह – एम०कॉम० (व्यवसाय प्रशासन), एम०बी०ए०, एम०फिल०, नेट,
पीएच०डी०, असिस्टेन्ट प्रोफेसर
- (4) सुश्री रितु शर्मा – एम०कॉम०, नेट (जे०आर०एफ०), बी०एड०, असिस्टेन्ट प्रोफेसर

(भाष्य संकाय)

1- हिन्दी विभाग

- (1) प्रोफेझ (श्रीमती) रश्मि जैन – एम०ए०, पीएच०डी०, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
- (2) डा. (श्रीमती) उदारता भद्रौरिया – एम०ए०, पीएच०डी०, असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं कार्यक्रम
अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना
- (3) श्री कृष्णदेव – एम०ए०, नेट, जे०आर०एफ०, बी०एड०, एम०एड०, असिस्टेंट प्रोफेसर,
- (4) डा० सन्तोष कुमार – एम०ए०, नेट, जे०आर०एफ०, पीएच०डी०, बी०एड०, असिस्टेंट प्रोफेसर,
कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना

2- संस्कृत विभाग

- (1) प्रोफेझ (श्रीमती) निहारिका चतुर्वेदी – एम०ए०, नेट, पीएच०डी०, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
- (2) स्थान रिक्त
- (3) स्थान रिक्त

3- अंग्रेजी विभाग

- (1) डा० (श्रीमती) लीना बंसल – एम०ए०, एम०फिल०, पीएच०डी०, असिस्टेन्ट प्रोफेसर
एवं विभागाध्यक्ष
- (2) डॉ० आलोक प्रताप सिंह सिकरवार – एम०ए०, पीएच०डी०, असिस्टेंट प्रोफेसर,
एन०सी०सी० प्रभारी
- (3) डा० नवीन कुमार लवानियाँ – एम०ए०, पीएच०डी०, प्रवक्ता
- (4) स्थान रिक्त
- नोट – एन०सी०सी० प्रभारी और एन०एस०एस० एवं रोवर्स रेंजर्स के कार्यक्रम अधिकारी अनुशासन समिति के पदेन सदस्य होंगे।

पुस्तकालय विभाग

(1) पुस्तकालय अध्यक्ष — स्थान रिक्त

शारीरिक शिक्षा एवं क्रीड़ा विभाग

(1) असिस्टेंट प्रोफेसर — स्थान रिक्त

(2) असिस्टेंट प्रोफेसर — स्थान रिक्त

कार्यालय

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) स्थान रिक्त | — कार्यालय अधीक्षक |
| (2) श्री नीरज अग्रवाल | — बी0कॉम0 लेखाकार, कार्यकारी कार्यालय अधीक्षक |
| (3) श्री पंकज भारद्वाज | — बी0कॉम0 स्टैनो प्राचार्य |
| (4) डॉ अखिलेश कुमार | — एम0कॉम0, पीएच0डी0, एम0ए0 (राजनीति विज्ञान) वरिष्ठ सहायक |
| (5) श्री दीपक पचौरी | — बी0एस0सी0, कनिष्ठ सहायक |
| (6) श्री सुखवीर सिंह गुर्जर | — एम0ए0 एम0पी0एड0, डी0वाई0एड0, एल0एल0बी0, एम0फिल0, कनिष्ठ सहायक |
| (7) श्री पवन तैनगुरिया | — एम0ए0 (राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र) पी0जी0डी0सी0पी0, कनिष्ठ सहायक |
| (8) स्थान रिक्त | — कार्यालय सहायक |
| (9) स्थान रिक्त | — कार्यालय सहायक |

पुस्तकालय कार्यालय

- (1) डा० यशपाल सिंह — एम०ए०, पीएच०डी०, बी०लिब०,
एम०एल०आई०एस०, कैटेलॉगर
एवं कार्यकारी पुस्तकालयाध्यक्ष
- (2) श्री जितेन्द्र कुमार गोस्वामी — एम०एससी०, एम०लिब०, बी०एड०,
पी०जी०डी०सी०पी०ए०,
पुस्तकालय सहायक
- (3) श्री हरेन्द्र कुमार बघेल — बी०कॉम०, ई०कॉम०, बी०लिब०,
एम०एल०आई०एस०, पुस्तकालय सहायक
- (4) स्थान रिक्त

मनोविज्ञान प्रयोगशाला

- (1) श्री ब्रजमोहन सिंह — एम०ए०(मनोविज्ञान), बी०एड०,
पी०जी०डी०सी०पी०, आई०टी०आई०,
(विद्युतिकी), प्रयोगशाला सहायक

सहायक कर्मचारी

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| (1) श्री अखिलेश कुमार | (4) श्री राजेन्द्र प्रसाद | (7) श्री विवेक कुमार |
| (2) श्री रमेशचन्द्र | (5) श्री भगवानदास | (8) श्री कुलदीप |
| (3) श्री संतोष कुमार | (6) श्री पंकज कुमार | |

इनके अतिरिक्त 12 पद रिक्त हैं।

पाठ्यक्रम (कला संकाय)

1. बी०ए० (प्रथम सेमेस्टर) -

बी० ए० (प्रथम वर्ष / सैमेस्टर) में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित निर्देशानुसार प्रवेश फार्म में विषयों का चयन करना होगा।

1. अभ्यर्थी को सर्वप्रथम जिस संकाय में स्नातक में करना है उसका चयन करना होगा। अभ्यर्थी 'मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय' अथवा 'भाषा संकाय' में से किसी एक संकाय का चयन करेगा।
 2. चयनित संकाय में से अभ्यर्थी किन्हीं दो विषयों को प्रमुख विषय (मेजर) के रूप में चयन करेगा।
 3. तत्पश्चात अभ्यर्थी को किसी भी संकाय से तीसरे प्रमुख (मेजर) और माइनर विषय का चयन करना होगा। उल्लेखनीय है कि चयनित तीसरे मेजर विषय अथवा माइनर में से किसी एक विषय का अन्य संकाय में से चयन करना अनिवार्य है।
 4. किसी भी विषय में सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय के नियमों एवं सीटों की संख्या के आधार पर किया जायेगा।

मानविकी और सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत अभ्यर्थी निम्न विषय विकल्पों में से कम से कम दो एवं अधिकतम किन्हीं तीन विषयों का चयन कर सकता है जिसके साथ उसे भाषा अथवा वाणिज्य संकाय का एक विषय अनिवार्यतः लेना होगा।

1. अर्थशास्त्र अथवा मनोविज्ञान में से एक विषय
 2. इतिहास अथवा समाजशास्त्र में से एक विषय
 3. एवं राजनीतिशास्त्र

जबकि भाषा संकाय के अंतर्गत अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित विषय विकल्पों में से कम से कम दो विषयों का चयन करना अनिवार्य जिसके साथ उसे मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान अथवा वाणिज्य संकाय में से दो अन्य विषयों का चयन करना होगा ।

1. अंग्रेजी अथवा संस्कृत में से किसी एक विषय एवं 2. हिन्दी

नोट : वाणिज्य संकाय में 'व्यावसायिक सम्प्रेषण' का विषय मानविकी एवं सामजिक विज्ञान संकाय तथा भाषा संकाय के अध्यर्थियों के माइनर विषय के रूप में उपलब्ध है।

बी० ए० (द्वितीय वर्ष / सैमेस्टर) - छात्र - छात्राओं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्देशों के अनुसार विषयों का चयन करना होगा।

बी० ए० (तृतीय वर्ष / सैमेस्टर) - छात्र - छात्राओं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्देशों के अनुसार विषयों का चयन करना होगा।

4. बी.कॉम. (प्रथम वर्ष / द्वितीय वर्ष / तृतीय वर्ष)-

प्रत्येक विद्यार्थी को भी कॉम से निम्नवत विषयों का चयन करना है—

- (क) अनिवार्य विषय – 1. व्यवसाय प्रशासन 2. लेखा एवं विधि
3. व्यावहारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र

नोट – प्रत्येक छात्र को उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष में दूसरे संकाय से एक विषय माइनर इलैक्ट्रिव के रूप में पढ़ना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त एक वॉकेशनल व सहपाठयेत्तर विषय को पढ़ना अनिवार्य है।

बी०कॉम० (द्वितीय वर्ष / सेमेस्टर) - छात्र - छात्राओं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्देशों के अनुसार विषयों का चयन करना होगा।

बी०कॉम० (तृतीय वर्ष / सेमेस्टर) - छात्र - छात्राओं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्देशों के अनुसार विषयों का चयन करना होगा।

स्नातकोत्तर कक्षाएँ

(1) एम.ए. (पूर्वार्द्ध) (सेमेस्टर प्रणाली) –

एम०ए० में निम्नलिखित विषयों में प्रवेश होगा ।

- | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1. हिन्दी | 2. अंग्रेजी | 3. संस्कृत | 4. इतिहास |
| 5. राजनीति शास्त्र | 6. समाजशास्त्र | 7. मनोविज्ञान | 8. अर्थशास्त्र |

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के निर्देशानुसार प्रवेश लिए जायेगें। जिसमें किसी अन्य संकाय का एक विषय का चयन माझनर विषय के रूप में अनिवार्य होगा।

(2) एम.ए. (उत्तरार्द्ध) (सेमेस्टर प्रणाली) –

एम०ए० (उत्तरार्द्ध) में केवल उन्हीं विषयों में प्रवेश होगा, जिन विषयों में अभ्यर्थी ने

एम०ए० पूर्वार्द्ध वार्षिक परीक्षा के नियमानुसार अध्ययन किया है।

(3) एम.कॉम. (पूर्वार्द्ध) (सेमेस्टर प्रणाली) –

एम.कॉम. पूर्वार्द्ध के लिए निम्नलिखित में से कोई एक विषय चुनना होगा –

- (क) व्यवसाय प्रशासन
- (ख) लेखा एवं विधि
- (ग) व्यावहारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र

प्रत्येक विषय के लिये पृथक आवेदन पत्र भरना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के निर्देशानुसार प्रवेश लिए जायेगें। जिसमें किसी अन्य संकाय के एक विषय का चयन अनिवार्य होगा।

(4) एम.कॉम. (उत्तरार्द्ध) (वार्षिक परीक्षा प्रणाली) –

एम.कॉम. उत्तरार्द्ध में उसी विषय का चयन करना है जिसमें एम.कॉम. पूर्वार्द्ध वार्षिक परीक्षा नियमानुसार उत्तीर्ण की हो।

अनुमोदित छात्र संख्या का विवरण

कक्षा	सामान्य वर्ग		अनुसूचित जाति		पिछड़ी जाति		अनुसूचित		
			21 प्रतिशत		कुल योग 27 प्रतिशत		जनजाति 2 प्रति		
	सामान्य	विकलांग	अनु0 सामा0	अनु0 विकलांग	पि0 जाति सामा0	पि0जाति विकलांग	अनु0 जन सामा0	अनु0 जन विकलांग	
बी0ए0	133	06	57	2	73	3	6	—	280
बी0कॉम0	101	4	42	2	55	2	4	—	210

वर्तमान

एम0ए0

विषय	सामान्य वर्ग	अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जनजाति	विकलांग	कुल संख्या
1. हिन्दी	34	15	19	1	1	70
2. अंग्रेजी	34	15	19	1	1	70
3. संस्कृत	34	15	19	1	1	70
4. अर्थशास्त्र	34	15	19	1	1	70
5. राज. शास्त्र	34	15	19	1	1	70
6. इतिहास	34	15	19	1	1	70
7. समाजशास्त्र	34	15	19	1	1	70
8. मनोविज्ञान	11	5	7	1	1	25

एम०कॉम०

विषय	सामान्य वर्ग	अनुसूचित जाति	पिछळी जाति	अनुसूचित जनजाति	विकलांग	कुल संख्या
1. व्यवसाय प्रशासन	34	15	19	1	1	70
2. लेखा एवं विधि	34	15	19	1	1	70
3. व्यावहारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र	34	15	19	1	1	70

1. स्नातक एवं स्नातकोत्तर (प्रथम वर्ष), सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं परन्तु इसका लाभ विद्यार्थी को तभी प्राप्त होगा जब उसने EWS प्रमाण पत्र संलग्न किया हो।
2. आरक्षित वर्ग के प्रवेशार्थियों के उपलब्ध न होने पर निर्धारित प्रक्रियानुसार से उन रिक्त सीटों पर प्रवेश किया जायेगा।
3. प्रवेश हेतु सीटों का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नवीनतम निर्देशानुसार किया जायेगा।

सामान्य निर्देश

आवेदन पत्र के साथ ही निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करना आवश्यक है जिसके अभाव में आवेदन पत्र कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त कोई भी संलग्नक स्वीकार नहीं किया जा सकेगा तथा उसका लाभ अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा –

(अ) बी.ए. एवं बी.कॉम. (प्रथम वर्ष) में प्रवेश हेतु –

1. हाईस्कूल परीक्षा की अंकतालिका की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि।
2. इण्टर परीक्षा की अंकतालिका की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि।
3. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
4. उस संस्था के प्राचार्य से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि जिसमें अन्तिम शिक्षा पाई हो।
5. पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ (सफेद बैकग्राउण्ड)।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं विकलांग के प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि।
7. पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि लगाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत पिछड़ी जाति का प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम 3 वर्ष से पूर्व की हो इससे अधिक अवधि के प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे।
8. एन.सी.सी. / एन.एस.एस. प्रमाणपत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि।
9. अतिरिक्त, मेरिट अंकों के लिए संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि।
10. आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि।
11. बैब रजिस्ट्रेशन की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें।

नोट – (1) आवेदन पत्र की प्रति उपरोक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति सहित निर्धारित अवधि के अंदर कार्यालय में जमा करायें।

(ब) बी.ए. एवं बी.कॉम. (द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर) में प्रवेश हेतु -

प्रथम वर्ष की अंकतालिका की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि, पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ (कॉलेज यूनिफार्म में व्हाइट बैंकग्राउण्ड के साथ)।

(ब) बी.ए. एवं बी.कॉम. (तृतीय वर्ष/सेमेस्टर) में प्रवेश हेतु -

द्वितीय वर्ष की अंकतालिका की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि, पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ।

(द) एम.ए. एवं एम.कॉम. (पूर्वार्द्ध) में प्रवेश हेतु -

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा की अंकतालिका की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि।

2. एम.ए. पूर्वार्द्ध में प्रवेश हेतु बी.ए. (तृतीय वर्ष) तथा एम.कॉम. पूर्वार्द्ध में प्रवेश के लिए बी.कॉम. (तृतीय वर्ष) की अंकतालिका की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि।

3. पूर्व कॉलेज, जहां अन्तिम शिक्षा पाई हो, के स्थानान्तरण प्रमाण—पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि व चरित्र प्रमाण—पत्र (यदि इस कॉलेज से स्नातक उपाधि प्राप्त न की हो तो)

4. पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ।

5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं विकलांग के प्रमाण—पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि।

6. एन.सी.सी./एन.एस.एस. प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि।

7. पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि लगाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत पिछड़ी जाति का प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम 3 वर्ष से पूर्व की हो इससे अधिक अवधि के प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे।

8. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी EWS प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न करें।

9. अतिरिक्त, मेरिट अंकों के लिए संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ।

(ग) एम.ए. एवं एम.कॉम. (उत्तरार्द्ध) में प्रवेश हेतु -

एम.ए. (पूर्वार्द्ध) अथवा एम.कॉम. (पूर्वार्द्ध) की अंकतालिका की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि एवं पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ (कॉलेज यूनिफार्म में व्हाइट बैंकग्राउण्ड के साथ)।

-: प्रवेश सम्बन्धी नियम :-

विश्वविद्यालय से प्राप्त निर्देश ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे।

- (1) इस सत्र में स्नातक प्रथम वर्ष के पंजीयन का कार्य विविध द्वारा निर्धारित कैलेण्डर के अंतर्गत होगा।
- (2) अभ्यर्थी को पहले <https://dbrau.ac.in> अथवा <https://admission.agrauniv.online/> पर विश्वविद्यालय के निर्देशासुनसार अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके उपरान्त महाविद्यालय की वेबसाइट <https://srkpgcollege.com/> पर अपना रजिस्ट्रेशन कर अपने फॉर्म का प्रिंट तथा विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट सभी प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ महाविद्यालय में जमा करना होगा।
- (3) प्रवेश आवेदन—पत्र कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड करते समय प्रोस्पेक्टस शुल्क ₹0 300/- एवं पंजीकरण शुल्क ₹10/- ₹0 कुल ₹310 रुपये ऑनलाइन जमा करना होगा, जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
- (4) अनुसूचित—जाति, अनुसूचित—जनजाति, पिछड़ी जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व दिव्यांग अभ्यर्थी अपने आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड करें।
- (5) अनुसूचित जाति के अर्ह समस्त अभ्यर्थी ऑनलाइन फीस जमा करने के उपरान्त छात्रवृत्ति फार्म भरकर कार्यालय में जमा करें।
- (6) स्नातक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के समय टी.सी. व चरित्र प्रमाण—पत्र की मूल प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- (7) प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश की संस्तुति के उपरान्त कॉलेज की वेबसाइट पर सूची निर्गत होने के अधिकतम 5 कार्य दिवसों में अभ्यर्थी को शुल्क जमा करना होगा अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

- (8) प्रवेश सम्बन्धी सभी सूचनायें कॉलेज की वेबसाइट www.srkpgcollege.com पर उपलब्ध रहेगी। छात्र-छात्रायें नियमित रूप से वेबसाइट/नोटिस बोर्ड को देखते रहें, यह उनका उत्तरदायित्व है। प्रवेश के सम्बन्ध में अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जायेगा।
- (9) जो छात्र इस कॉलेज में कभी पढ़ चुका है और उसने अपना टी.सी. जमा करा दिया है तो उसे प्रवेश आवेदन-पत्र पर इस बात का उल्लेख कर देना चाहिए तथा उसका वर्ष भी अंकित कर देना चाहिए जिसमें उसने टी.सी. जमा किया था।
- (10) साक्षात्कार के समय आवेदनकर्ताओं को मूल प्रमाण-पत्रों, अंकतालिकाओं एवं स्वप्रमाणित फोटोकॉपी सहित स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।
- (11) किसी विषय में स्थान रिक्त न होने पर अभ्यर्थी को वह विषय नहीं दिया जायेगा।
- (12) स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में अन्य महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को सामान्यतः प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (13) परीक्षाकाल में मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस लाना वर्जित है।
- (14) छात्र महाविद्यालय से अपना अध्ययन समाप्त करने के तीन वर्ष के अन्दर ही अपना टी. सी. प्राप्त कर लें। तीन वर्ष के पश्चात् उनको इस महाविद्यालय से टी.सी. व चरित्र प्रमाण-पत्र नहीं दिया जायेगा।
- (15) विद्यार्थियों की कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। उसके सम्बन्ध में शासन से प्राप्त निर्देशों का यथासमय अनुपालन अनिवार्य है।
- (16) जो विद्यार्थी विद्यालय शुल्क, पुस्तकालय की पुस्तकें, एन.सी.सी. की यूनिफार्म व खेल का सामान आदि प्राचार्य द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करेंगे उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

- (17) सत्र 2023–24 की विश्वविद्यालय परीक्षाओं में केवल एक ही उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जायेगा ।
- (18) मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक फाइल परीक्षा समाप्त होने के एक वर्ष की अवधि तक विभाग में भूतपूर्व छात्रों के उपयोग हेतु उपलब्ध रहेंगी तथा किसी भी विद्यार्थी को किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी ।
- (19) प्राचार्य को किसी भी छात्र को प्रवेश से वंचित करने एवं प्रवेश निरस्त करने का अधिकार है ।



डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 20.05.2023 द्वारा अनुमोदित

प्रवेश नियमावली सत्र 2023-24

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होंगे तथा आवासीय संस्थानों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, प्रबन्धन, लाइफ सार्टेजेज, इंजीनियरिंग तथा विधि संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिसकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

1. (i) व्यवसायिक पाठ्यक्रमों यथा बीएससी(एग्रीकल्चर), एमएससी(एग्रीकल्चर), एलएलबी, बीएएलएलबी एलएलएम, एमएड, बीपीएड, एमएसडब्ल्यू एवं इसके अतिरिक्त जिन पाठ्यक्रमों में आवेदन सीटों से दोगुने अधिक प्राप्त होंगे, वहाँ पर प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भी किये जा सकते हैं।
(ii) धाए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम एवं एमएससी में प्रवेश महाविद्यालय अपने स्तर से लेगा। परन्तु सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के Admission Portal के माध्यम से ही किये जायेंगे।
2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति/सम्बद्धता विभिन्न Regulatory Bodies द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनकी गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा।
3. (i) छात्रों द्वारा जितने पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु Apply किया जायेगा, उतने ही पाठ्यक्रमों में Web Registration कराना आवश्यक होगा तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम के अलग-अलग Web Registration फॉर्म देय होगी संस्था में आवेदन करना आवश्यक होगा।
(ii) छात्र द्वारा महाविद्यालय में Reporting के समय सभी Documents की स्वयं प्रमाणित प्रतियाँ मूल प्रति से सत्यापित कराकर महाविद्यालय में जमा करनी होंगी।
(iii) सत्र 2023-24 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश Admission Monitoring System (प्रवेश अनुश्रवण प्रणाली) के माध्यम से किये जायेंगे, इस सरल प्रणाली के अन्तर्गत अभ्यर्थी पाँच चरणों क्रमशः

- (1) वेब रजिस्ट्रेशन (2) पाठ्यक्रम/महाविद्यालय/संस्थान व विषय का चुनाव चुनना (3) भुगतान करना
(4) फार्म प्रिंट Online माध्यम से पूर्ण करके पाँचवे घरण में जिस आवासीय संस्थान/महाविद्यालय
को चुनना चाहता है। वह वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से
अभ्यर्थी अपनी योग्यतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। सभी आवासीय
संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र हैं, परन्तु वह केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को
प्रवेश दे सकते हैं जो Admission Monitoring System की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करें। इस
सम्बन्ध में आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालयों को जारी दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट
पर उपलब्ध है।
4. महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dbrau.ac.in के पोर्टल के माध्यम से
पूर्ण की जायेगी। प्रवेशार्थी के लिए प्रवेश से सम्बन्धित समरत सूचनायें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। जिनका
अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
5. सभिति द्वारा Web Registration के रूप में लिये जाने वाले शुल्क में बढ़ोत्तरी करते हुये स्नातक स्तर
पर 200/- रु0 के स्थान पर 250/- रु0 तथा परास्नातक स्तर पर 300/- रु0 के स्थान पर 350 रु0
देय होंगे।

सामान्य निर्देश

1. (अ)(i) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका “प्रोसेक्टस” तैयार करायेगा, निर्धारित शुल्कों तथा
महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही
विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेंगे तथा विवरण पुस्तिका
का अधिकतम मूल्य 300/- होगा।
- (ii) महाविद्यालयों द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क 02/- रु0 के स्थान पर 10/- रु0 निर्धारित किया जाता है।
- (ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2023-2024 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों
का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत
स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों,
तथा 4 प्रतिशत स्थान दिव्यांगजन के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) तथा-श्वण
बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अंतर्गत ही) तथा EWS हेतु स्वीकृति सीटों के सापेक्ष
अतिरिक्त रूप से 10 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेंगी। दिव्यांगजन के लिए जनपद के मुख्य
चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक वर्ग में 20
प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।
- (स) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर¹
इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका
में विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा महाविद्यालय की वेबसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा।
प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह एक कम्प्यूटर आपरेटर
को इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित
करें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इंटरनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है।
- (द) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेशोपरात यदि किसी
दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है, तो ऐसी

- स्थिति में छात्र के द्वारा पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर 15 दिवस में रद्द कराना होगा तथा महाविद्यालय द्वारा उसे केवल 90 प्रतिशत शुल्क ही वापिस किया जायेगा। शुल्क वापिसी की प्रक्रिया 02 माह के अन्दर सम्पन्न करनी होगी।
2. (अ) सन् 2023-24 के लिए सभी संकायों में प्रथम वर्ष/सैमिस्टर में ही प्रवेश दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क के साथ ही 200/- रु0 उपाधि शुल्क भी छात्र द्वारा देय होगा।
- (ब) एलएलएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विधि स्नातक सामान्य श्रेणी एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा 55 प्रतिशत अंकों एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।
- (स) (i) बीएएलएलबी पंचबर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में 10+2(इंटरमीडिएट) सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।
- (ii) यदि किसी छात्र द्वारा हाईस्कूल के पश्चात् 03 वर्ष का प्रोयोगिकी में डिप्लोमा अथवा इसके समतुल्य कोई और डिप्लोमा किया गया हो, जिसे इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाये। ऐसे छात्रों को बीएएलएलबी में न्यूनतम अर्हता के समतुल्य माना जायेगा।
- (iii) एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में स्नातक सामान्य श्रेणी के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।
- (द) बीपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्र द्वारा किसी भी वर्ग में स्नातक 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो अथवा बीपीईएस 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।
- (य) एम0ए0 में प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा किसी भी विषय के साथ स्नातक 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो, प्रयोगात्मक विषय की स्थिति में Practical एवं Theory में पृथक पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परास्नातक स्तर के प्रयोगात्मक एवम् साहित्यिक विषय में प्रवेश हेतु छात्र अथवा छात्रा द्वारा स्नातक स्तर पर वह विषय अन्य विषयों के साथ एक विषय के रूप में पढ़ा गया होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5% की छूट अनुमत्य होगी।
- (र) एमएससी में प्रवेश हेतु बीएससी 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा Practical एवं Theory में पृथक-पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5% की छूट अनुमत्य होगी।
- (ल) एमएससी(कम्प्यूटर साइंस) में प्रवेश हेतु निम्न विषयों के साथ स्नातक किया जाना अनिवार्य होगा।
PCM/Statistics/Computer Science/I.T./B.E./B. Tech. & BCA
 उपरोक्त विषयों में स्नातक सामान्य एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए 5% अंकों की छूट मान्य होगी।

(व) एमएससी(एग्रीकल्चर) ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने बीएससी(एग्रीकल्चर) में ऑनर्स किया है, वह एमएससी (एग्रीकल्चर) के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह होंगे, परन्तु जिन छात्रों द्वारा बीएससी(एग्रीकल्चर) किसी विशेष विषय के साथ किया गया हो, वे छात्र उसी विषय के लिए एम0एस0सी0(एग्रीकल्चर) में आवेदन हेतु अर्ह होंगे।

उपरोक्त परिस्थितियों में छात्रों द्वारा न्यूनतम पूर्णांक 45 प्रतिशत होना आवश्यक है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5% की छूट अनुमत्य होगी।

(श) एम0कॉम0 में प्रवेश हेतु बी0कॉम0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(ष) सभी संकायों की स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आवेदन-पत्रों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि 14, अगस्त, 2023 होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल रोका गया हो, वह कक्षा में स्थान उपलब्ध होने की दशा में परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन बाद तक प्रवेश ले सकेंगे।

- महाविद्यालय खुलने के तिथि : शासनादेश के अनुसार
- स्नातक प्रथम में (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि : 25 मई, 2023
- स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 14 अगस्त, 2023
- स्नातक प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 12 सितम्बर, 2023
- स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर एवं विधि त्रिवर्षीय प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष पंजीकरण/प्रवेश की अन्तिम तिथि : 25 अगस्त, 2023
- स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 05 सितम्बर, 2023
- उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होंगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।

3. (अ) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र एन0ई0पी0-2020 के नियमानुसार प्रवेश लेंगे।

(ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिवर्धित न हों।

(स) नई शिक्षा नीति-2020 में व्यक्तिगत परीक्षा के सम्बन्ध में कोई भी प्राविधान नहीं है।

(द) नई शिक्षा नीति-2020 में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा से अन्तराल के सम्बन्ध में कोई भी नियम नहीं है।

(ब) कोई भी छात्र एक पाठ्यक्रम में अर्थात् बीए/बीएससी/बीकॉम/बीएससी(कृषि)/बीएड इत्यादि में एक बार उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् पुनः उसी पाठ्यक्रम में प्रवेश का अधिकारी नहीं होगा। परन्तु स्नातकोत्तर नियमानुसार एक से अधिक विषयों में कर सकते हैं।

(र) एन0ई0पी0-2020 के अनुसार प्रवेशित विद्यार्थियों पर सभी नियम एन0ई0पी0-2020 के अनुसार अनुमत्य होंगे।

4. (अ) नियमानुसार एलएलबी 06 वर्ष, बीएएलएलबी 08 वर्ष, स्नातक कृषि अधिकतम 07 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

- (b) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य हेतु निम्न व्यवस्था रहेगी।
- (i) विद्यार्थी के लिए Certificate in Faculty का Course Module अर्थात् प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 04 वर्ष निर्धारित है। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 46 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Diploma in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।
 - (ii) विद्यार्थी के लिए Diploma in Faculty का Course Module अर्थात् तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Certificate in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 46 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा इसके पश्चात् विद्यार्थी अगले-अगले Course Module अर्थात् Bachelor in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।
 - (iii) विद्यार्थी के लिए Bachelor in Faculty का Course Module अर्थात् पांचवे एवं छठवें सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (पांचवे एवं छठवे सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा इसके पश्चात् विद्यार्थी अगले-अगले Course Module अर्थात् Bachelor (Research) in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।
 - (iv) किसी पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिए निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल छात्र के लिए पृथक रूप से पुनः परीक्षा अथवा बैंक पेपर परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के क्रम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।

5. प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय-19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश-2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होंगे:-
"Subject to order issued under sub-section(4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his/her college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and Principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for

admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."

स्पष्टीकरण: उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।
 2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।
6. (अ) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता निम्न प्रकार होगी:-
- (1) बीएससी (फिजीकल साइंस) के लिए इंटरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।
 - (2) बीएससी (लाइफ साइंस) के लिए इंटरमीडिएट वॉयोलोजी ग्रुप या इंटर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।
 - (3) बीएससी (कृषि) के लिए कला एवं वाणिज्य को छोड़कर इंटरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
 - (4) बीएससी(गृह विज्ञान) में प्रवेश हेतु इंटरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में से किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
 - (5) बीए/बीकॉम के लिए इंटरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण
 - (6) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेडरी ऐजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई, कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश किया जाये।

(List of Career Oriented Vocational Courses offered by the CBSE at Senior Secondary Level along with revised Scheme of Studies)

(परिशिष्ट-1)

(ब) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी0एस0सी0 (कृषि)/बी0एस0सी0 परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंकों का होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 05 प्रतिशत की छूट अनुमत्य होगी।

उ0प्र0 बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाइट/मार्कस दोनों प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होंगे।

(स) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे :-

- (i) उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडियट कालेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों को प्रवेश दिया जायेगा एवं अभ्यर्थी की इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के आधार पर उसका मूल निवास माना जायेगा।
- (ii) निर्धारित मेरिट के अन्तर्गत पाये जाने की स्थिति में अधिकतम 30 प्रतिशत स्थानों पर बाहर (Other State & Other Country) से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। परन्तु यदि निर्धारित संख्या में छात्र/छात्रा नहीं आते हैं तो उसे उत्तर प्रदेश के अर्ह/पत्र छात्र/छात्राओं से निर्धारित सीटों को भर दिया जायेगा।
- (iii) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृहमंत्रालय एवं प्रवेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्कीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- (i) अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
- (ii) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम् प्राचार्य-चक्रानुसार।
- (iii) अधिष्ठाता शैक्षिक एवं अधिष्ठाता विदेशी छात्र।

नोट:- कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।

- (iv) समय-समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपाल में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।
- (v) समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

शैक्षिक अंकों की गणना :-

7. (क) स्नातक कक्षायें:-

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :-

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों/ग्रेड का 50 प्रतिशत।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

(छ) विधि पाठ्यक्रम के शैक्षिक अंकों की गणना निम्नवत् होगी:-

(क) बीएएलएलबी स्नातक कक्षायें:-

1. हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।

(ख) एलएलबी विधि स्नातक कक्षायें:-

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

(ग) एलएलएम स्नातक कक्षायें:-

1. विधि स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोट:-

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनिवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडिकल तथा $11+1+3$ पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेन्डरी बोर्ड की $10+2$ परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिवन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षायें:

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए

(क) प्रथम विजेता होने के लिए - 5 अंक।	
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए - 4 अंक।	
(ग) तृतीय विजेता होने के लिए - 3 अंक।	
(घ) प्रतिभाग करने के लिए - 2 अंक।	
2. एन0सी0सी0 “सी” सर्टफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक
अथवा
एन0सी0सी0 “वी” सर्टफिकेट/जी-1 उत्तीर्ण केडिटों को 6 अंक
अथवा
एन0सी0सी0 केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में 3 अंक
भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।
3. स्वतंत्रता सेनानी पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पोत्र/पौत्री) 5 अंक
4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को 5 अंक

5. बी0कॉम0 (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (मैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें:

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:-

(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए - 8 अंक।

(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए - 7 अंक।

(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए - 6 अंक।

(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए - 3 अंक।

2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्रिंश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:-

(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए - 5 अंक।

(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए - 4 अंक।

(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए - 3 अंक।

(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए - 2 अंक।

3. एन0सी0सी0 “सी” सर्टफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 “बी” सर्टफिकेट/जी-1 प्रमाण पत्र धारक केडिटों को 6 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 3 अंक

4. एन0एस0एस0 में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए 5 अंक

5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो। 3 अंक

अथवा

महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तर्रिंश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हों।

(क) प्रथम विजेता होने के लिए - 5 अंक।

(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए - 4 अंक।

(ग) तृतीय विजेता होने के लिए - 3 अंक।

(घ) प्रतिभाग करने के लिए - 2 अंक।

नोट:-

उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र/रोवर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(ख) सभी कक्षायें:

1. डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियां के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री।

17 अंक

2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति-पत्नी पुत्र-पुत्री (अधिवाहित)।

10 अंक

3. भारतीय सेना/पैरा मिलट्री फोर्स/अर्चर्ड सैनिक बल (पुलिस/पी०एस०सी०) में कार्य करते हुये विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में।

17 अंक

टिप्पणी:

1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा यदि वह यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट:-

1. किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्त से पूर्व मुत्तु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।

2. उपर्युक्त “1” से “3” के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 अधिकारियों द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

3. उपर्युक्त अतिरिक्त अंकों का लाभ अभ्यर्थी को एक से अधिक बार दिया जा सकेगा अर्थात् स्नातक एवं परास्नातक स्तर में प्रवेश पर।

8. (अ) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका

प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।

- (ब) सामान्यतः स्नातक कक्षा के एक सैक्षण में 60 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सेटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नहीं करेंगे। कक्षा में प्रवेश की कुल

संख्या स्वीकृति सैक्षणों की संख्या पर आधारित होगी एवं स्नाताकोत्तर कक्षा में प्रयोगात्मक विषय में 60 छात्र एवं गैर प्रयोगात्मक विषय में 80 छात्रों के प्रवेश का अधिकार होगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

- (स) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
(द) संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने को अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नहीं है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

9. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य, कुलपति को लिखेंगे और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।
(ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेंगे और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नहीं करेंगे।
(स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।
(द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर समर्पक करता रहे और वेबसाइट पर सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन “अपटू-डेट” जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भौति पढ़ लें, उनका यह भी दायित्व होगा कि सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ। उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो

प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय छारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी का ही होगा।

10. आवेदन यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
11. नई शिक्षा नीति-2020 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों को समायोजित कर लिया जायेगा।
12. माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 02.10.2021 के अनुपालन में यदि किसी परिवार की एक से अधिक बच्ची (अर्थात् दो सगी बहनें) परिसर/महाविद्यालय में पढ़ रही हो तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस माफ की जायेगी।



डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु शैक्षिक कलैण्डर

क्रमांक	शैक्षणिक सत्र 2023-24 का प्रस्तावित परीक्षा/शिक्षण कार्यक्रम	दिनांक
प्रथम सेमेस्टर		
1.	प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि	19.08.2023 तक
2.	प्रथम सेमेस्टर में नव प्रवेशित छात्रों के लिए शिक्षण कार्य प्रारम्भ	21.08.2023
3.	मिड-टर्म परीक्षा	10-31 अक्टूबर, 2023
4.	प्रथम सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि	15.12.2023
5.	प्रथम सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षायें पूर्ण होने की तिथि	23.12.2023
6.	प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा	01-20 जनवरी, 2024
7.	प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की अंतिम तिथि द्वितीय सेमेस्टर	30.01.2024
8.	द्वितीय सेमेस्टर का शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	22.01.2024
9.	मिड-टर्म परीक्षा	11-30 मार्च, 2024
10.	द्वितीय सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि	18.05.2024
11.	द्वितीय सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षायें पूर्ण होने की तिथि	25.05.2024
12.	द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षायें	20 मई से 15 जून, 2024
13.	द्वितीय सेमेस्टर का परिणाम घोषित होने की अंतिम तिथि	29.06.2024
2.	पूर्व में अध्ययनरत वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत आच्छादित छात्रों के लिये	

क्रमांक	शैक्षणिक कार्यक्रम	दिनांक
1.	प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि	31.07.2023
2.	शिक्षण कार्य प्रारम्भ	17 जुलाई से 12 अगस्त, 2023 के मध्य
3.	वार्षिक पाठ्यक्रमों की प्रथम टर्म परीक्षा	16-28 अक्टूबर, 2023
4.	वार्षिक पाठ्यक्रमों की द्वितीय टर्म परीक्षा	5-16 फरवरी, 2024
5.	शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि	30.03.2024
6.	प्रयोगात्मक परीक्षायें पूर्ण होने की तिथि	13.04.2024
7.	वार्षिक परीक्षा	15 अप्रैल से 18 मई, 2024
8.	परीक्षा परिणाम घोषित होने की अंतिम तिथि	15.06.2024


कुलसौम चिवजी

शुल्क तालिका

प्रवेश के समय लिए जाने वाले शुल्क की तालिका

क्र सं	शुल्क का नाम	एम.ए		एम.काम		बी.ए			बी.काम.		
		पूर्वार्द्ध	उत्तरार्द्ध	पूर्वार्द्ध	उत्तरार्द्ध	I	II	III	I	II	III
1	शिक्षण शुल्क	180	180	180	180	132	132	132	132	132	132
2	महंगाई शुल्क	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
3	पुस्तकालय एवं वाचनालय	37.50	37.50	37.50	37.50	30	30	30	30	30	30
4	एस.ए.एफ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5	मनोविज्ञान प्रयोगशाला शुल्क	240	240	-	-	240	240	240	-	-	-
6	प्रवेश शुल्क	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
7	पंजीकरण शुल्क	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
8	विकास शुल्क	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
9	क्रीड़ा शुल्क	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
10	परिचय—पत्र शुल्क	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
11	पंखा शुल्क	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
12	विद्युत शुल्क	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
13	छात्र कल्याण एवं पश्चात्यासनिक शुल्क	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
14	शीतोष्ण शुल्क	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
15	प्रासंगिक पुस्तकालय शुल्क	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
16	प्रासंगिक	25	25	-	-	25	25	25	-	-	-

17	भवन रख—रखाव शुल्क	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
18	बा.उ. शुल्क	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19	वि.वि. नामांकन शुल्क	-	-	-	-	300	-	-	300	-	-
20	वि.वि. परीक्षा शुल्क	-	2200	2000	2200	-	-	1500	1500	1500	1500
21	लघु शोध प्रबंध शुल्क	-	2000	-	2000	-	-	-	-	-	-
22	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
23	पत्रिका शुल्क	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
24	प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क	-	-	-	-	-	200	200	-	-	-
25	उपाधि शुल्क	200		200		200		200			

नोट : छात्राओं का स्नातक स्तर पर शिक्षण शुल्क माफ होगा, शेष सभी शुल्क जमा करना होगा।

* उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त देय

1— Vocational Course fee : $250+250 = 500/-$

2— आंतरिक परीक्षा शुल्क 50/-

3— बी0ए0 (प्रथम वर्ष) per semester राजनीतिक शास्त्र मौखिक परीक्षा Viva / Practical- 200/-

नोट —

1— विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार परीक्षा शुल्क में परिवर्तन अनुमन्य किया जायेगा।

2— माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 2—01—2021 एवं डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की प्रवेश नियमावली के निर्देशानुसार यदि किसी परिवार की एक से अधिक बच्ची (अर्थात् दो सगी बहिनें) परिसर / महाविद्यालय में पढ़ रही हो तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस माफ की जायेगी।

प्रवेश के समय देय शुल्क

क्रम संख्या	कक्षा	देय धनराशि
1.	बी.ए. (I) / बी.कॉम. (I)	2815.00
2.	बी.ए. (I) मनोविज्ञान	3280.00
3.	बी.ए. (II) / बी.ए. (III) / बी.कॉम. (II) / बी0कॉम (III)	2315.00
4.	बी.ए. (II) मनोविज्ञान / बी0ए0 (III) मनोविज्ञान	2780.00
5.	एम.ए. (पूर्वार्द्ध) / एम.कॉम. (पूर्वार्द्ध)	3070.50
6.	एम.ए. (पूर्वार्द्ध) / (उत्तरार्द्ध) मनोविज्ञान	3535.50
7.	एम.ए.(उत्तरार्द्ध) / एम.कॉम. (उत्तरार्द्ध)	3070.50

नोट –

1. लघु शोध लेने वाले विद्यार्थी को 2000.00 शुल्क उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त देना होगा।
2. जो विद्यार्थी अन्य विश्वविद्यालयों से स्थानान्तरित होकर आये हों, उन्हें 300.00 नामांकन शुल्क अतिरिक्त देना होगा।
3. विश्वविद्यालय द्वारा किसी शुल्क में यथा नामांकन शुल्क, परीक्षा शुल्क, लघु शोध शुल्क आदि में यदि वृद्धि की जाती है तो वह छात्र से कुल शुल्क के अतिरिक्त यथा समय ली जायेगी।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुपालन में सेमेस्टर परीक्षाओं से सम्बन्धित, विश्वविद्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप शुल्क का भुगतान यथा समय सभी छात्र/छात्राओं को अनिवार्यत करना होगा।

अनुशासन सम्बन्धी नियमावली

महाविद्यालय में अनुशासन पर विशेष बल दिया जाता है। इस हेतु अनुशासन अधिकारी भी नियुक्त किये जाते हैं। छात्राओं की सुरक्षा हेतु महिला शिकायत प्रकोष्ठ तथा छात्रों की समस्या के समाधान हेतु छात्र शिकायत प्रकोष्ठ कॉलेज में स्थापित है। महाविद्यालय के सभी संस्थागत छात्रों को अनुशासन समिति द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

1. नवीन विद्यार्थी प्रवेश मिलते ही अपना परिचय पत्र बनवा लें। प्रत्येक संस्थागत विद्यार्थी को प्रतिदिन अपने साथ कॉलेज में परिचय पत्र लाना अनिवार्य है।
2. एम.ए. तथा एम.कॉम. कक्षायें प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक बी.कॉम., 12.00 बजे से एवं बी0ए0 की कक्षायें 12 से प्रारम्भ होगी।
3. सत्र 2023–2024 में सभी संस्थागत छात्र/छात्राओं को यूनिफार्म पहनकर आना अनिवार्य है। छात्रों को यूनिफार्म में सफेद शर्ट और ग्रे पैन्ट तथा छात्राओं को ग्रे कुर्ता, सफेद पायजामी व सफेद चुन्नी अनिवार्य रूप से पहनना होगा। सर्दियों में छात्रों एवं छात्राओं को ब्लैक स्वैटर पहनना होगा।
4. संस्थागत छात्रों के रूप में प्रविष्ट छात्रों को छोड़कर अन्य किसी भी छात्र को कक्षा में अध्ययन हेतु बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. सभी छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे कक्षा सम्बन्धी, परीक्षा सम्बन्धी एवं अन्य कार्यक्रमों सम्बन्धी नियमों एवं अनुशासन का पालन करें। अभिभावकों से निवेदन है कि वे इन नियमों के अनुपालन में कॉलेज अधिकारियों का सहयोग करें।
6. जो छात्र-छात्रायें परीक्षा में तथा पठन-पाठन के समय दुर्घटनाकारी तथा अनुशासनहीनता करते पाये जायेंगे उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। **परीक्षाकाल में मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस लाना वर्जित है।**

7. कोई छात्र साइकिल, मोटर साइकिल या स्कूलटर कॉलेज के भीतर नहीं लायेगा। इन्हें साइकिल स्टैण्ड पर ही रखें।
8. कॉलेज परिसर में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है।
9. कोई भी विद्यार्थी न तो फुहारे के पास खड़ा होगा, न समूह में गप-शप करेगा।
अनुशासनहीता करने वाले विद्यार्थियों को कॉलेज से निष्कासित किया जोगा।
10. वादन (घंटा) खाली होने पर पुस्तकालय के वाचनालय कक्ष में बैठकर पुस्तकें, पत्रिकाएँ
11. एवं समाचार पत्र पढ़ें। परिसर में इधर-उधर न घूमें तथा परिसर के सभी लान को स्वच्छ बनायें रखने का प्रयत्न करें।
12. समस्त पाठ्य गतिविधियों के सफल संचालन हेतु सभी विद्यार्थियों का सहयोग अपरिहार्य है।
13. किसी भी प्रकार से अनुशासन भंग न करें। कॉलेज प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से करना होगा।
14. किसी भी कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी को बिना रसीद के कोई धनराशि न दें।
15. किसी भी समस्या के उत्पन्न होने पर प्राचार्य या अनुशासन समिति से यथाशीघ्र सम्पर्क स्थापित करें।

प्रपत्र-2

घोषणा-पत्र

छात्र/छात्राओं एवं अभिभावकों के पालन हेतु आवश्यक निर्देश

अभिभावक का
फोटो

छात्र-छात्रा का
नवीनतम
फोटो
चिपकायें

1. प्रत्येक कक्षा में शासन एवं विश्वविद्यालय से प्राप्त मानकों के आधार पर निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश होगा।
2. प्रत्येक कक्षा में मेरिट के आधार पर ही प्रवेश होगा।
3. प्रवेश शुल्क जमा होने के यथा शीघ्र तुरन्त विद्यार्थियों को कक्षा में अध्ययन हेतु उपस्थित रहना होगा।
4. सभी कक्षाओं में प्रत्येक छात्र/छात्रा की कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। उपस्थिति कम होने पर छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी तथा छात्रवृत्ति का भी वह पात्र नहीं होगा। अभिभावक समय-समय पर अपने पाल्य की उपस्थिति से अवगत होते रहें।
5. प्रत्येक छात्र/छात्रा के पास कॉलेज द्वारा निर्गत वर्तमान सत्र का परिचय पत्र अवश्य होना चाहिए। नया परिचय-पत्र शुल्क रसीद दिखाकर अनुशासन अधिकारी से प्राप्त कर लें।
6. महाविद्यालय में अनुशासनहीनता अथवा अभद्र व्यवहार करने पर महाविद्यालय अनुशु गासन-समिति द्वारा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
7. अभिभावकों से अनुरोध है कि समय-समय पर कॉलेज में पधारकर अपने पाल्य की पठन-पाठन एवं आचरण की जानकारी करते रहें।

8. महाविद्यालय के छात्र/छात्राएँ कॉलेज परिसर में प्रतिदिन निर्धारित यूनीफॉर्म में अपना परिचय—पत्र लेकर आयें तथा कक्षाएँ समाप्त होने के उपरान्त परिसर छोड़ दें। किसी भी अवांछनीय गतिविधि में भाग लेने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
9. प्राचार्य के निर्देशानुसार वर्तमान सत्र से स्नातक प्रथम सेमेस्टर में ‘शिक्षक—अभिभावक योजना’ प्रारंभ की जा रही है जिसमें सभी छात्र—छात्राओं के समग्र विकास एवं महाविद्यालय की गतिविधियों के संदर्भ में मार्गदर्शन हेतु प्राध्यापकों को अभिभावक के रूप में उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होगा।

मैंने/अभ्यर्थी ने उपरोक्त नियमों का अध्ययन कर लिया है। मैं यह आश्वासन देता हूँ कि अपने अध्ययन की अवधि में इन नियमों का पूर्णतः पालन करूँगा/करूँगी।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर	अभिभावक के हस्ताक्षर
कक्षा	नाम
मोबाइल नं0	पता
ई—मेल	मोबाइल नं0
	ई—मेल

नोट – साक्षात्कार के समय उपरोक्त प्रपत्र को पूर्णतः भरकर प्रवेश—समिति के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

एस. आर. के. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फैजोजाबाद

प्रवेश आवेदन पत्र 2023-2024

कक्षा जिसमें प्रवेश चाहते हैं स्नातकोत्तर कक्षा का विषय

1. प्रवेशार्थी का नाम (हिन्दी में)

2. प्रवेशार्थी का नाम (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)

3. पिता का नाम

माता का नाम

4. स्थायी निवास का पता

वेब रजि.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
आधार क्रमांक	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
मोबाइल नं.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
वाट्सअप नं.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ई-मेल :	<input type="text"/>			

5. जिस वर्ग से सम्बद्धित है अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति अनुसूचित जनजाति
उसके आगे वर्ग में सही करें। सामान्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग विकलांग

6. जाति का नाम

7. संरक्षक का नाम व पता

8. उ.प्र. में कब से निवास कर रहे हैं राष्ट्रीयता

9. जन्म तिथि (हाईस्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार)

10. कक्षा जो उत्तीर्ण की वर्ष विश्वविद्यालय का नाम

संस्थागत / व्यक्तिगत बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम

11. बी.ए./बी.कॉम. प्रथम वर्ष (सेमेस्टर-1) में लेने वाले विषय :

कला संकाय : अर्थशास्त्र मनोविज्ञान इतिहास समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान

भाषा संकाय : संस्कृत हिन्दी अंग्रेजी

वाणिज्य संकाय : व्यवसाय प्रशासन लेखा विधि व्यवहारिक व्यवसायिक अर्थशास्त्र

परीक्षा का नाम	वर्ष	श्रेणी	बोर्ड / विश्वविद्यालय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	मेरिट काउंट
1. हाईस्कूल							
2. इंटर							
3. बी.ए./बी.कॉम.							
4. एम.ए./एम.कॉम. पूर्वार्द्ध							
अतिरिक्त अंक							
कुल योग							

हस्ताक्षर

मैं घोषित करता हूँ/ करती हूँ कि ऊपर दी गई सभी सूचनायें सत्य हैं। यदि कोई सूचना गलत पाई जाय तो मेरा प्रवेश रद्द कर दिया जाये।

हिन्दी में

अंग्रेजी में

← अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्रवेशार्थी का घोषणा पत्र

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई सूचनायें सही हैं। यदि कोई तथ्य गलत पाया जाय तो मेरा प्रवेश रद्द कर दिया जायें।

मैं यह भी शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि अध्ययनकाल में अपना चरित्र एवं सदव्यवहार बनाये रखूँगा / रखूँगी तथा किसी भी असामाजिक, अवांछनीय कृत्य में भाग नहीं लूँगा/लंगी। मैं कालेज प्रशासन द्वारा निर्धारित अनुशासन का पालन करूँगा / करूँगी तथा विश्वविद्यालय के नियमों/अधिनियमों का भली भाँति पालन करूँगा / करूँगी। सभी निर्देशों का पालन करते हुये कॉलेज प्रशासन के आदेशों के अनुसार अनुशासन में रहने के लिए मैं बचनबद्ध हूँ।

प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर

स्थान
दिनांक

नाम

पिता का नाम

पता

अभिभावक का घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा विश्वास दिलाता हूँ और यह उत्तरदायित्व ग्रहण करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री/आश्रित कक्षा में प्रवेश पाने पर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की नियमावली, अनुशासन का पालन करेगा / करेगी। तथा अपना सच्चरित्र एवं सदव्यवहार बनाये रखेगा और ऐसा न करने पर नियमानुकूल निष्कासन अथवा अन्य दण्ड का भागी बनेगा।

अभिभावक के हस्ताक्षर

स्थान
दिनांक

नाम

पता

-: प्रकाशक :-

डॉ विनय कुमार गोयल

बी0एससी0, एम0ए0 (अर्थशास्त्र), पीएच0डी0

फैक्स : 05612 - 241373

महाविद्यालय की बेवसाइट www.srkpgcollege.com

विश्वविद्यालय की बेवसाइट www.dbrau.org.in



-: प्राचार्य :-

प्रोफेत डा० प्रमोद कुमार सीरौढिया

एम.कॉम., एम.ए. (इतिहास), पीएच.डी.

मोबा. - 05612-297308

ईमेल - srkpgcollegefirozabad@yahoo.in